



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128243

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19320/2026

योगेंद्र

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : केशरी नाथ त्रिपाठी, पुष्पेन्द्र विश्वकर्मा

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. सूचनादाता/प्रतिपक्षी(गण) संख्या 2 के अधिवक्ता श्री इरशाद अहमद ने वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेखित कर लिया गया है।

2. हमने आवेदक के अधिवक्ता श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के सहायक अधिवक्ता श्री अनिकेत कुमार, प्रतिपक्षी संख्या 2/शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री इरशाद अहमद और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए माननीय ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं।

3. यह जमानत याचिका आवेदक को , थाना- मेनथर, जिला- मुरादाबाद में मामला अपराध संख्या 252/2025 में, बी.एन.एस., 2023 की धारा 137(2), 65(1), 61(2) और पॉस्को अधिनियम की धारा 5(जे)(2)/6 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के तहत में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की आयु लगभग

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16 वर्ष थी। जब पीड़िता का बयान धारा 180 बीएनएसएस और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज किया गया, तो उसने कहा कि वह पिछले दो वर्षों से आवेदक से प्यार करती थी और वे हिमाचल प्रदेश में बीस दिनों तक साथ रहे, जहाँ आवेदक और पीड़िता के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए। धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज बयान में यह भी कहा गया है कि वह आवेदक को माफ कर रही है और बालिग होने पर उससे शादी करेगी। वह वर्तमान मामले में आवेदक पर आगे मुकदमा नहीं चलाना चाहती। आवेदक के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि पीड़िता आवेदक की सहमति से इस संबंध में शामिल थी और आवेदक ने कभी भी बलात्कार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 30.12.2025 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के खिलाफ अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, उपस्थित साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए पर्याप्त आधार सिद्ध किया है।

8. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपर्युक्त मामले में अपराध के आरोपी आवेदक **जोगेंद्र** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.द.सं./ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द.प्र.सं./ 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भा.द.सं./ 209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 313 द.प्र.सं./ धारा 351 बी.एन.एस.एस.एस. के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 जून, 2026

कीर्ति

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।